**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1509**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**ओड़िशा में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के रिक्त पद**

**1509. श्री प्रसन्न आचार्यः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या यह सच है कि ओड़िशा जैसे राज्य में आईपीएस अधिकारियों की भारी कमी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क):दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार, रिक्‍त पदों की राज्‍य-वार संख्‍या **अनुलग्‍नक-‘‘क’’** में दी गई है।

(ख) और (ग): दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा कैडर में आईपीएस अधिकारियों की कुल प्राधिकृत संख्‍या तथा सेवारत अधिकारियों की संख्‍या क्रमश: 195 और 120 है। सेवा में रिक्तियां विभिन्‍न कारकों जैसे कि सेवानिवृत्ति, त्‍यागपत्र, मृत्‍यु, सेवा से बर्खास्‍तगी आदि के कारण होती हैं। ये सभी कारक आवर्ती प्रकृति के हैं और भर्ती की दर के सापेक्ष हैं। चूंकि, रिक्तियां और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्‍यों सहित रिक्‍त पदों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है। तथापि, प्रति वर्ष लगभग 150 आईपीएस अधिकारियों की भर्ती की जाती है और उन्‍हें भारतीय पुलिस सेवा के 26 कैडरों में आवंटित किया जाता है।

\*\*\*\*\*

**-2-**

रा.स. अता. प्र.सं. 1509 दिनांक 04.03.2020

**अनुलग्‍नक- “क”**

 **दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार आईपीएस अधिकारियों की राज्‍य-वार संख्‍या**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **स्‍वीकृत संख्‍या**  | **सेवारत** | **रिक्‍त पद** |
| 01. | आंध्र प्रदेश | 144 | 117 | 27 |
| 02. | एजीएमयूटी | 309 | 252 | 57 |
| 03. | असम-मेघालय | 195 | 159 | 36 |
| 04. | बिहार | 242 | 212 | 30 |
| 05. | छत्तीसगढ़ | 142 | 115 | 27 |
| 06. | गुजरात | 208 | 171 | 37 |
| 07. | हरियाणा | 144 | 114 | 30 |
| 08. | हिमाचल प्रदेश | 94 | 79 | 15 |
| 09. | जम्मू और कश्मीर | 147 | 78 | 69 |
| 10. | झारखंड | 149 | 124 | 25 |
| 11. | कर्नाटक | 215 | 175 | 40 |
| 12. | केरल | 172 | 130 | 42 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 305 | 266 | 39 |
| 14. | महाराष्ट्र | 317 | 255 | 62 |
| 15. | मणिपुर | 89 | 64 | 25 |
| 16. | नागालैंड | 75 | 62 | 13 |
| **17.** | **ओडिशा** | **195** | **120** | **75** |
| 18. | पंजाब | 172 | 141 | 31 |
| 19. | राजस्थान  | 215 | 187 | 28 |
| 20. | सिक्किम | 32 | 31 | 01 |
| 21. | तमिलनाडु | 276 | 236 | 40 |
| 22. | तेलंगाना | 139 | 104 | 35 |
| 23. | त्रिपुरा | 69 | 53 | 16 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 517 | 445 | 72 |
| 25. | उत्तराखंड | 73 | 62 | 11 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 347 | 272 | 75 |
|  | **कुल** | **4982** | **4024** | **958** |

\*\*\*\*\*\*